न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –72/2024 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2024/201

दायर दिनांकः– 26.11.2024

सुरेन्द्र कुमार गोद पुत्र सूरजमल रौनी जाति माली निवासी खेड़ा रसूलपुर तहसील लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल–डी पी एस स्कूल के पास कन्सुवां कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. आशा पुत्री सूरजमल
2. इन्द्राबाई पत्नि सूरजमल
3. पिंकी पुत्री सूरजमल
4. रेखा पुत्री सूरजमल
5. रचना पुत्री सूरजमल
6. विमला पुत्री सूरजमल
7. संजू पुत्री सूरजमल
8. सुमित पुत्र सूरजमल
9. सीमा पुत्री सूरजमल
   समस्त जाति माली निवासीगण आरामपुरा, रावड जी का चौक खेड़ा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल संख्या 316 आदेश दिनांक 18.04.2022 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री रमेशचंद कुशवाह, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हुकमचंद जैन अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1,3,4,6,7,9 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 29.07.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आरामपुरा में खाता संख्या 105 की आराजी किता–8 रकबा 2.22 हे0 में से 1/7 हिस्सा खातेदार सूरजमल पुत्र विरधीलाल जाति माली निवासी रसूलपुर के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी, खातेदार सूरजमल के फोत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मुताविक रिपोर्ट पटवारी एवं जांच आई.एल. आर. अनुसार नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 18.04.2022 से सूरजमल के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त नामान्तरकरण संख्या 316 आदेश दिनांक 18.04.2022 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट स्व0 सूरजमल जी का गोद पुत्र है, अपीलान्ट को जब वह डेढ साल का था स्व0 सूरजमल व उनकी पत्नि रेस्पो0 इन्द्रा संयुक्त रूप से गोद लिया था तथा उक्त गोदनामा दिनांक 16.10.1996 को तहसील लाडपुरा कोटा में रजिस्टर्ड करवाया था जिस पर प्राकृतिक पिता चम्पालाल, सूरजमल एवं इन्द्रा बाई के हस्ताक्षर है । अधीनस्थ न्यायालय ने स्व0 सूरजमल का फौती नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट को सूचना नहीं देकर व सुनवाई नहीं करके रेस्पोडेन्ट के नाम फौती नामान्तरकरण तस्दीक करने में त्रुटि की है । अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील तहसीलदार लाडपुरा दिनांक 18.4.2022 निरस्त किया जावे तथा स्व0 सूरजमल के वारिसान के साथ अपीलान्ट का नाम बहैसियत गोद दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 2,5,8 की ओर से अभिभाषक श्री महेश चन्द्र गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ. रेस्पोडेन्ट नं0 1,3,4,6,7,9 की ओर से अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पोडेन्ट नं0 2,5,8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, आवाज लगवाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1,3,4,6,7,9 उपस्थित । उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । वकील रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट स्व0 सूरजमल जी का गोद पुत्र है. अपीलान्ट को जब वह डेढ साल का था स्व0 सूरजमल व उनकी पत्नि रेस्पो0 इन्द्रा संयुक्त रूप से गोद लिया था तथा उक्त गोदनामा दिनांक 16.10.1996 को तहसील लाडपुरा कोटा में रजिस्टर्ड करवाया था जिस पर प्राकृतिक पिता रमणलाल, सूरजमल एवं इन्द्रा बाई के हस्ताक्षर है । स्व0 सूरजमल व इन्द्रा बाई ने अपीलान्ट को बहैसियत गोद माता पिता अपीलान्ट को पाला पोसा है तथा अपीलान्ट स्व0 सूरजमल व इन्द्रा बाई के साथ ही निवास करता था । स्व0 सूरजमल की मृत्यु उपरान्त उनका फौती नामान्तरकरण तस्दीक करते समय रेस्पोडेन्ट ने गलत बयानी करते हुये सिर्फ स्वयं को ही स्व0 सूरजमल जी का वारिस बताते हुये उक्त फोती नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया है तथा अपीलान्ट का नाम उक्त इन्तकाल में अंकित नहीं करवाया है जबकि अपीलान्ट स्व0 सूरजमल व इन्द्रा बाई का गोदपुत्र होने से उनके द्वारा छोडी गई आराजी में उसका भी समान रूप से रेस्पो0 के साथ हक व हिस्सा निहित है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्य को छिपाकर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करवाकर स्व0 सूरजमल के खाते की सम्पूर्ण आराजी को अपने खाते दर्ज करवा लिया है जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं था । पटवारी हल्का द्वारा स्व0 सूरजमल जी के वारिसान के संबंध में पूर्ण जांच किये बिना ही मात्र रेस्पोडेन्ट के कथन को मानकर रिपोर्ट की है तथा उसी रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण जेर अपील खोला गया है, उक्त नामान्तरकरण हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । अपीलान्ट जो कि मजदूरी के सिलसिले में कोटा में निवास कर रहा है उसी का फायदा उठाकर उक्त नामान्तरकरण रेस्पो0 ने अपने नाम तस्दीक करवाया है जो अपीलान्ट के हितों के प्रति प्रभावशून्य है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा आगे कथन किया है कि अपीलान्ट मजदूरी के सिलसिले में कोटा में रहता है, अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 1.5.2024 को होने एवं उसी दिन मालूमात कर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 3.5.2024 को नकल प्राप्त हुई, अपीलान्ट समय पर ही अपील करना चाहता था जिसके लिये अपीलान्ट रूपयो के इन्तजाम में लग गया तथा कुछ समय बाद वह अचानक बीमार हो गया तथा उसे टाईफाईड हो गया तथा वह काफी कमजोर हो गया तथा दिमाग काफी कमजोर होने से अपील पेश करने की जानकारी नहीं रही तथा दीमाग मे कुछ सुधार आने पर कागजात देखे और कागजात लेकर वकील साहब से दिनांक 12.11.2024 को मिला तथा उनके बताये निर्देशानुसार यह अपील पेश कर रहा है जो कि उक्त अपील वकील साहब के निर्देश की दिनांक 12.11.2024 से अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील तहसीलदार लाडपुरा दिनांक 18.4.2022 निरस्त किया जावे तथा स्व0 सूरजमल के वारिसान के साथ अपीलान्ट का नाम बहैसियत गोद दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट न0 1,3,4,6,7,9 ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर है. दिनांक 18.4.2022 के इन्तकाल की अपील 2 वर्ष 7 महिने बाद प्रस्तुत की है जिसका कोई सन्तोषप्रद कारण धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र मे नहीं दर्शाया गया है । अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम दिनांक 18.4.2022 के आदेश की जानकारी होना अंकित किया है किन्तु यह नहीं दर्शाया है कि जानकारी कहां से हुई, केसे हुई । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 3.5.2024 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त होना अंकित किया है उसके बाद भी 6 माह बाद दिनांक 18.11.2024 को अपील पेश की है तथा जो तथ्य धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित किये है उनके संबंध में कोई डॉक्टर का पर्चा या इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, मात्र मनगढंत तथ्य अंकित कर अपील को मियाद में लाने का असफल प्रयास किया है जबकि अपील सर्वथा मियाद बाहर है तथा मियाद के बिन्दु

पर ही खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमायी जावें । इन्तकाल की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जो मात्र रेवेन्यू वसूली के लिए है । इसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । रेस्पोडेन्ट के पति एवं पिता की मृत्यु हो जाने के बाद रेस्पोडेन्ट उनके विधिक वारिसान है जिसके पक्ष में इन्तकाल सही रूप से तस्दीक किया है । अपीलान्ट को अपने अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से करवाना चाहिये । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम आरामपुरा खातेदार स्व0 सूरजमल के फोती नामान्तरकरण संख्या 316 आदेश दिनांक 18.04.2022 के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 19.11.2024 को प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है, मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए ठोस आधार नहीं बताये है, तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 1.5.2024 को होना बताया है, किन्तु जानकारी किस प्रकार हुई जानकारी का माध्यम नहीं बताया है तथा जानकारी के बाद भी 6 माह बाद दिनांक 19.11.2024 को अपील प्रस्तुत की है तथा 6 माह की विलम्ब के लिए बीमारी का कारण बताया है किन्तु कोई दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में विलम्ब के लिए बताये गये कारण उचित एवं ठोस आधार नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है किन्तु इस अपील का निर्णय केवल मियाद के बिन्दु पर ही करना उचित नहीं पाते है, तथा अपील को केवल तकनीकि आधार मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करना उचित नहीं समझतें है । अपील पर गुणावगुण के आधार विश्लेषण किया जाकर निर्णय करना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाता है ।

7. प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट की मुख्य प्रार्थना यह है कि अपीलान्ट स्वर्गीय सूरजमल जी का गोदपुत्र है तथा सूरजमल जी एवं इन्द्रा बाई द्वारा अपीलान्ट को गोद लिया जाकर गोदनामा दिनांक 16.10.1996 को रजिस्टर्ड करवाया है, इसी आधार पर अपीलान्ट स्वर्गीय सूरजमल जी के फोती इन्तकाल में अपीलान्ट अपना भी नाम दर्ज करवाने का अधिकारी बताता है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 18.4.2022 निरस्त करवाकर सूरजमल के वारिसान के साथ अपीलान्ट अपना नाम बहैसियत गोद दर्ज किये जाने हेतु अपील में प्रार्थना की है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील मियाद बाहर बताई है तथा नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही होना एवं नामान्तरकरण से पक्षकारों के अधिकार तय नहीं किये जाने का तथ्य अंकित करते हुए अपने अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के माध्यम से करवाने का कथन किया है ।

8. उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत तर्को से गुणावगुण के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतक खातेदार स्व0 सूरजमल जी के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान में 01 पत्नि, 07 पुत्रियों एवं एक पुत्र रेस्पोडेन्टगण के नाम फौती नामान्तरकरण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 18.04.2022 को स्वीकृत किया है, जो एक समरी प्रोसिडिंग है, इसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है । अपीलान्ट अपने आपको सूरजमल जी का गोद पुत्र मानता है, गोदनामे के आधार पर अपीलान्ट अपना अधिकार इस अपील के जरिये चाहता है जो दिया जाना संभव नहीं है, अपीलान्ट को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एवं गोदनामें की प्रमाणितकता एवं सत्यता के लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है जिसमें हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है पक्षकारों के मध्य हक एवं अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही संभव है । अपील अपीलांट विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 18.04.2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाने से यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा